20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 5 रु. Rs भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5 रु. Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

विलोपित विलोपित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी —दो / 15 निग / 3143 / II / 15

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एड० द्वारा आज दि. 17/9/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट / 17-9-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

17-9-15

गरीबा काछी तनय छिकोड़ी मृतक

वारिसान :—

कल्लू काछी तनय स्व0 गरीबा काछी

निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ तहसील व

जिला छतरपुर म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

—— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50, म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.05.2012 पारित द्वारा नजूल अधिकारी तहसील व जिला छतरपुर प्र0क0 04 / अ—20 / 1 / 2011—12 एवं 103 / नजूल / 2012 .

श्रीमान् न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी अन्दर अवधि निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

1— यह कि, आवेदक ने ग्राम नरसिंहगढ़ के खसरा भूमि न0 1266 / 2 एवं 1266 / 3 जिसका रकवा कमशः 2.86 एवं 4.70 हैक्टेयर भूमि आवेदक के पिता श्री गरीवा काछी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि थी, जो बिना सक्षम अधिकारी के बिना सूचना दिये आवेदक की भूमि वर्ष 2013—14 में आवेदक के पिता गरीवा काछी के नाम थी जिसका खसरा संलग्न है ।

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 343–दो/2015 अभ्यावेदन जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
18.12.18	आवेदक के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने नजूल अधिकारी छतरपुर के प्रकरण कमांक 4 अ–20 (1)/2011–12 एंव कमांक 103/नजूल/2012 में पारित आदेश दिनांक 16–5–12 के विरूद्व यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव खसरा पंचशाला ग्राम बागोता सन 1957–58 संबत 2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से पाया गया कि भूमि सर्वे कमांक 1266/2 रकबा 2.06 एंव सर्वे कमांक 1266/3 रकबा 4.70 के खाता कमांक 273 के भूमिस्वामी गरीवा काछी है जो वर्ष 2021 लगायत 2024 एंव सन् 1968–69 अंकित है इसके वाद के खसरों की स्थिति क्या रही है एंव भूमिस्वामी का नाम काटकर नजूल अधिकारी छतरपुर के प्रकरण कमांक 4 अ–20 (1)/2011–12 एंव कमांक 103/नजूल/2012 में पारित आदेश दिनांक 16–5–12 किस आधार पर भूमि शासकीय नजूल	

वाह्य दर्ज की है, स्पष्ट नहीं है। किसी भी भूमिस्वामी की भूमि को शासकीय दर्ज करने के पूर्व उसे सुना जाना तथा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना अनिवार्य है, जबकि आवेदक को नजूल अधिकारी ने बचाव प्रस्तुत करने एंव सुनवाई का अवसर नहीं दिया है जिसके कारण नजूल अधिकारी छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 4 अ-20 (1)/2011-12 एंव क्रमांक 103/नजूल/2012 में पारित आदेश दिनांक 16-5-12 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना नहीं पाया गया है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नजूल अधिकारी छतरपुर व्दारा प्रकरणं कमांक 4 अ-20 (1)/2011-12 एंव क्रमांक 103/नजूल/2012 में पारित आदेश दिनांक 16-5-12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य